तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सतपाल उर्फ पप्पू बनाम सुखराम आदि अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए मुकदमा नम्बर – 236 / 2017	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.08.2021		

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी उभय पक्ष उपस्थित । पूर्व में अप्रार्थी 1ता11 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये हैं। बहस सूनी गई प्रार्थी वकील द्वारा निवेदन किया गया कि मौजा रोही लालेरां में खसरा नम्बर 5 में तादादी 6.41 बीघा भूमि खातेदारी में स्थित हैं। प्रार्थी अपनी उक्त खातेदारी भूमि में खसरा नम्बर 3 के उत्तर दिशा में स्थित स्वीकृत रास्ता से खसरा नम्बर 3 की पूर्व दिशा की सींव से होता हुए अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 5 में प्रवेश करता है तथा इसी रास्ते से अपनी ढाणी में वर्षों से अवागमन करता हैं। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी की खातेदारी जौत में आने जाने का अन्य कोई सुविधाजनक एवं नजदीक का रास्ता नहीं हैं। जबकि प्रार्थी को अपने खातेदारी भूमि में आने जाने काश्त करने के लिए रास्ता लेने का संवैधानिक अधिकार हैं। प्रार्थी अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 3 के उत्तर दिशा में स्थित स्वीकृत गैर मुमकीन रास्ते से दक्षिण दिशा में अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पूर्व दिशा की सींव गैर मुमकीन रास्ता नियमानुसार स्वीकृत करवाना चाहता हैं। अप्रार्थीगण की भूमि जो रास्ते में जीतने बिस्वा आयेगी उतनी भूमि का नियमानुसार प्रतिफल राशि प्रार्थी अप्रार्थीगण को देने के लिए तैयार हैं। अतः खसरा नम्बर 3 की पूर्व दिशा में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर नियमानुसार 16.5 फुट चौड़ा रास्ता स्वीकृत करने का आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया।

राज पैरोकार द्वारा जवाब में कहा गया की स्वीकृत किये जाने वाला रास्ता के सम्बन्ध में सरकार को कोई आपति नहीं हैं। तहसीलदार लूनकरनसर द्वारा प्रेषित नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में रीपोर्ट पत्रावली शामिल हैं। अवलोकन किया गया प्राप्त रीपोर्ट अनुसार प्रार्थी लालेरा से पक्की सड़क से होकर दक्षिण से अपने खेत खसरा नम्बर 5 में प्रवेश करने हेतु खसरा नम्बर 3 की पूर्वी सीमा पर उत्तर से दक्षिण दिशा में 36 मीटर लम्बा एवं 5 मीटर चौड़ा रास्ता कटान करवाना चाहता है उक्त रास्ता उचित होने की रीपोर्ट की गई हैं।

हमने बहस का मनन किया । पत्रावली शामिल दस्तावेजों का अवलोकन किया । पत्रावली में शामिल जमाबन्दी गांव लालेरां संवत् 2073–76 एवं नकल नक्शा एवं तहसीलदार लूनकरनसर रिपोर्ट का अवलोकन किया । उपरोक्त बहस एवं रिकॉर्ड अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 5 में आने के लिये खसरा नम्बर 3 से होकर जाने वाला रास्ता नजदीक एवं उचित प्रतीत होता है । अप्रार्थी संख्या 1ता11 के विरूद्ध पूर्व में एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये हैं। प्रार्थना पत्र एवं रिपोर्ट तहसीलदार के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए स्वीकार किया जाता हैं प्राप्त रिपोर्ट अनुसार लालेरा से पक्की सड़क से होकर दक्षिण से खसरा नम्बर 5 में प्रवेश करने हेतु खसरा नम्बर 3 की पूर्वी सीमा पर उत्तर से दक्षिण दिशा में 36 मीटर लम्बा एवं 5 मीटर चौड़ा रास्ता के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार (राजस्व) लूनकरनसर को फैसले की प्रमाणित प्रति भेज निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण की उक्त खातेदारी भूमि पर उक्तानुसार स्वीकृत रास्ता निर्धारित दर से भुगतान होने पर रिकॉर्ड में अंकन कर मौके पर रास्ता की निशानदेही करावें।

पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता नम्बर से कम होकर दाखिल दफत्तर हो ।

यह आदेश आज दिनांक 31.08.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लूणकरनसर

उपखण्ड अधिकारी लूणकरणसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2022.06.20 15:04:01 IST
Reason: SelfAttested